

06/IV/14

भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 333290

क्षेत्राधिकार सब-रजिस्ट्रार (द्वितीय)संशोधन पत्र

उत्तर प्रदेश न्यायिक
परिषद्
जिला निर्वाचन अधिकारी

पण्डित कैलाश चन्द्र जैन केशव देव जैन एजुकेशनल ट्रस्ट, अलीगढ़ बजरिए कोषाध्यक्ष उक्त ट्रस्ट मुकेश जैन पुत्र स्व० ओमप्रकाश जैन, निवासी आवास विकास कॉलोनी, सासनी गेट, अलीगढ़, का हूँ। जोकि दिनांक 19.03.1998 को उक्त ट्रस्ट का नियमानुसार रजिस्ट्रीकरण हुआ है, जिसका लेख पुस्तक संख्या 4, खण्ड 162 के पन्ना 29 से 60 पर क्रम संख्या 25 पर दिनांक 19.03.1998 को कार्यालय, सब-रजिस्ट्रार, अलीगढ़ में दर्ज है। उक्त ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक 27.01.2014 के अन्तर्गत कार्यवाही हुई जिसमें निम्नलिखित निर्णय सर्व सम्मति से लिये गये कि -

1. यह कि ट्रस्ट की नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत वर्णित उक्त ट्रस्ट के 8 फाउन्डर ट्रस्टियों में से 3 फाउन्डर ट्रस्टियों, (1) श्री संतोष जैन पुत्र स्व० श्री केशवदेव जैन, निवासी जैनपुरी, आगरा रोड, अलीगढ़, (2) श्री पारस

50

151

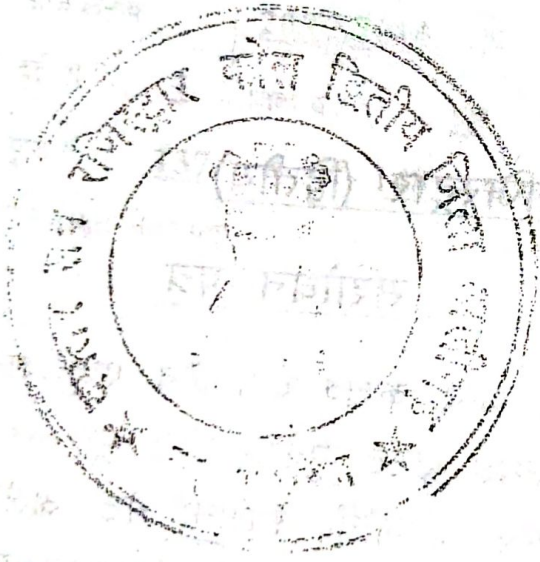
पुनर्निर्माण कार्य के लिए
2012 के लिए 5.25 करोड़
का अनुमानित 300 करोड़
13 करोड़ 50 लाख अनुमानित
कि 2012-13 का अनुमानित 200 करोड़

ठाकुर

लगातार 30 (30-2014)
विशेष अधिकारी

09533330

भारत के लिए



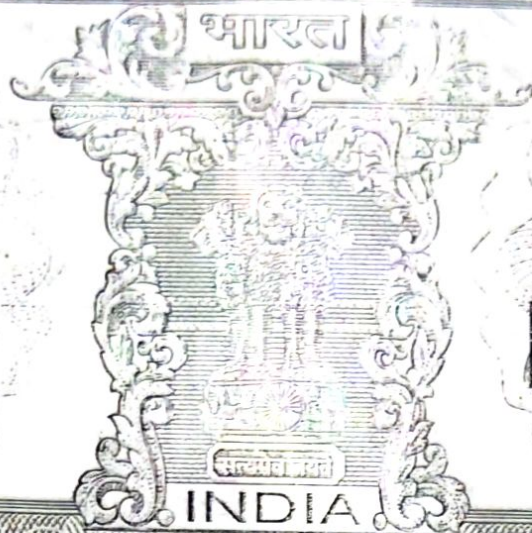
भारत के लिए

9

भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 333291

- 2 -

कुमार जैन पुत्र स्व० श्री केशवदेव जैन, निवासी जैनपुरी, आगरा रोड, अलीगढ़ व (3) श्री विनय ओसवाल पुत्र स्व० श्री सुगन्धचन्द ओसवाल, निवासी गली मालिन, हाथरस के द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण अब फाउन्डर ट्रस्टियों की संख्या 5 हो गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। श्री पवन जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जैन, निवासी विमलांचल, हरीनगर, अलीगढ़ "अध्यक्ष" उक्त ट्रस्ट ने अपने आप को उक्त पद को मुक्त करके अपने पुत्र श्री स्वप्निल जैन को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने के उपरान्त नियमावली के नियम-4(1) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

अब फाउन्डर ट्रस्टी - निम्न 5 (पांच) व्यक्ति ट्रस्ट के फाउन्डर ट्रस्टीयान व पद निम्न प्रकार हैं।

1. श्री स्वप्निल जैन पुत्र श्री पवन जैन, निवासी विमलांचल, हरीनगर, अलीगढ़, जो अब "अध्यक्ष" उक्त ट्रस्ट के हैं।
2. श्रीमती आशा जैन पत्नी श्री पवन जैन, निवासी विमलांचल, हरीनगर, अलीगढ़, "उपाध्यक्ष"।
3. श्री अनिल जैन पुत्र स्व० श्री शीतल प्रसाद जैन, निवासी लाल

13
 30 (2015-16 के लिए)
 2015-16 के लिए 30 दिसंबर
 2015 के लिए 20 दिसंबर
 2015 के लिए 20 दिसंबर

— अर्चना

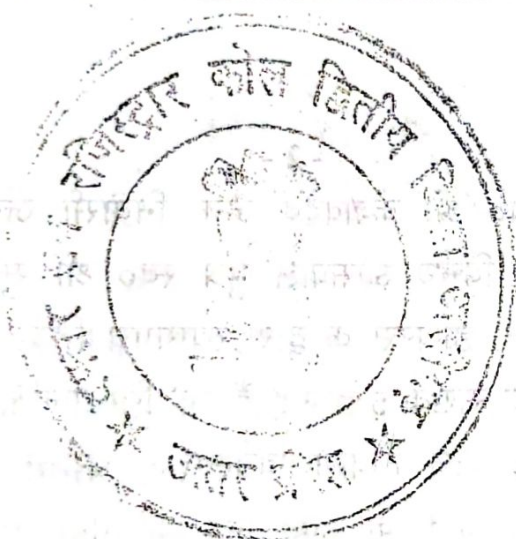
— 30/12/15

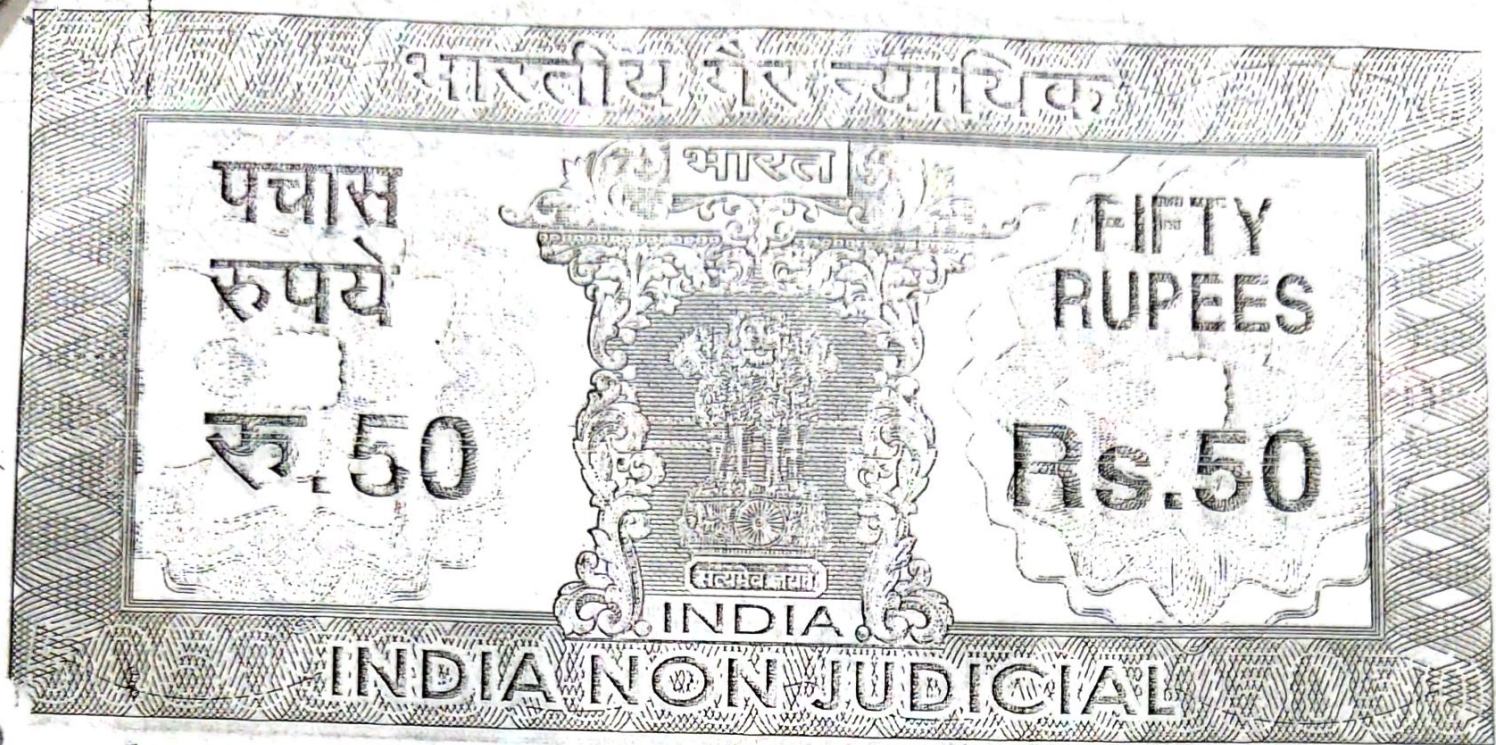
नवीन कुमार सिंह

सहायक निदेशक

लाइन 50 (एन. 1-2014)

विशेष कार्य, अर्चना





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 333292

- 3 -

तालाब, आगान कोठी, बुलन्दशहर, "सचिव"।

4. श्री मुकेश जैन पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश जैन, निवासी आवास विकास कॉलोनी, सासनी गेट, अलीगढ़, "कोषाध्यक्ष"।

5. डा० राजकुमार पुत्र स्व० श्री रमापति, निवासी शारदा सदन, जनकपुरी, अलीगढ़, "सदस्य"।

2. यह कि ट्रस्ट के नियम संख्या-12(1)(3) में वर्णित अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य में प्रदत्त राशि रुपये 10,000/- के स्थान पर रुपये 50,000/- की जाती है। तदनुसार नियमावली के नियम संख्या-12(1)(3) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

ट्रस्ट के कार्यों के लिये रुपये 50,000/- (पचास हजार) तक व्यय करने का बिना पूर्व स्वीकृति के अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक के व्यय सचिव की सलाह से किये जा सकते हैं परन्तु ऐसे व्यय को अगली बैठक में अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

3. यह कि ट्रस्ट के नियम संख्या-12(3)(4) में वर्णित सचिव के अधिकार एवं

...4



50

प्राप्ति के कारण यह पत्र 5/10 फरवरी 2014 को
इस तारीख पर जारी किया गया था 2014-15
इसके लिए जो राशि आवंटित की
गयी उसका 10 करोड़ का अनुमान है

हस्ताक्षर

राजीव कुमार सिंह

सहायक

संख्या 50 (अ. 1-2-2014)

निदेशक, अर्थ



AS 333293

उत्तर प्रदेश सरकार

आवक निधि के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
1. अर्थ विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
2. अर्थ विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

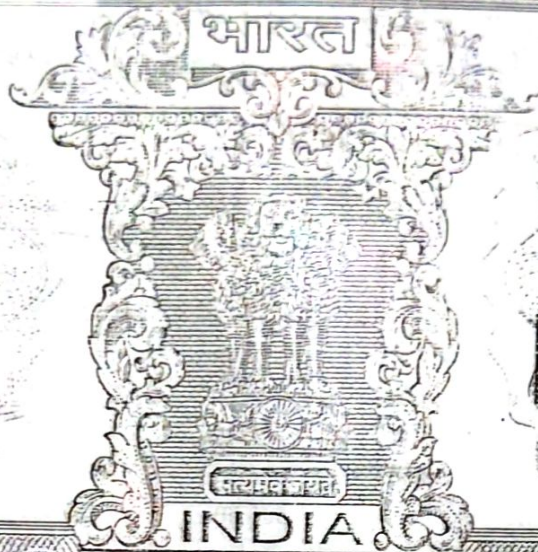
आवक निधि के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
3. अर्थ विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
4. अर्थ विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

आवक निधि के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
5. अर्थ विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
6. अर्थ विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
7. अर्थ विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 333293

- 4 -

कर्तव्य में प्रदत्त राशि रुपये 10,000/- के स्थान पर रुपये 50,000/- की जाती है। तदनुसार नियमावली के नियम संख्या-12(3)(4) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

ट्रस्ट के कार्यों के लिये रुपये 50,000/- (पचास हजार) तक व्यय करने का बिना पूर्व स्वीकृति के अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर रुपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक के व्यय अध्यक्ष की सलाह से किये जा सकते हैं परन्तु ऐसे व्यय को अगली बैठक में अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

- यह कि ट्रस्ट के उद्देश्य संख्या-4(8) में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी वित्तीय संस्थान अथवा निजी व्यक्ति या संस्थान से उचित शर्तों एवं ब्याजदर पर ऋण का आदान-प्रदान करने के संदर्भ में ट्रस्ट की सम्पत्ति को प्रतिभू/रहन करने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। तदनुसार उद्देश्य संख्या-4(8) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

यह कि ट्रस्ट के वर्णित उद्देश्य संख्या-1 लगायत 9 की पूर्ति हेतु



10

154
प्रति केवल यह एक ही केवल केवल
2014 केवल 24-5 अंकित 1/25 अंकित
3/14 24-5 अंकित 1/25 अंकित
के अंकित 1/25 अंकित के अंकित
अंकित

20/3/2014
रजिस्ट्रार

लाला लाला लाला
लाला लाला लाला

यास पत्र

50,000.00

500.00

20

520.00

1,000

न्यास की राशि

फॉस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

श्री मुकेश जैन (आईडी- वॉटर कार्ड)

पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 20/3/2014

समय 3:03PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री मुकेश जैन (आईडी- वॉटर कार्ड)

पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन

पेशा अन्य

निवासी आवास विकास

अलीगढ़

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

यू0के0अग्रवाल(प्रभारी)

सब रजिस्ट्रार द्वितीय

कोल, अलीगढ़

20/3/2014

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री राजीव बुर्जवाल

पुत्र श्री ओ0पी0बुर्जवाल

पेशा अन्य

निवासी गोपालपुरी शहर अलीगढ़

व श्री शिशुपाल

पुत्र श्री चरन सिंह

पेशा अन्य

निवासी बढौली फतेह खों त0कोल अलीगढ़

ने की।

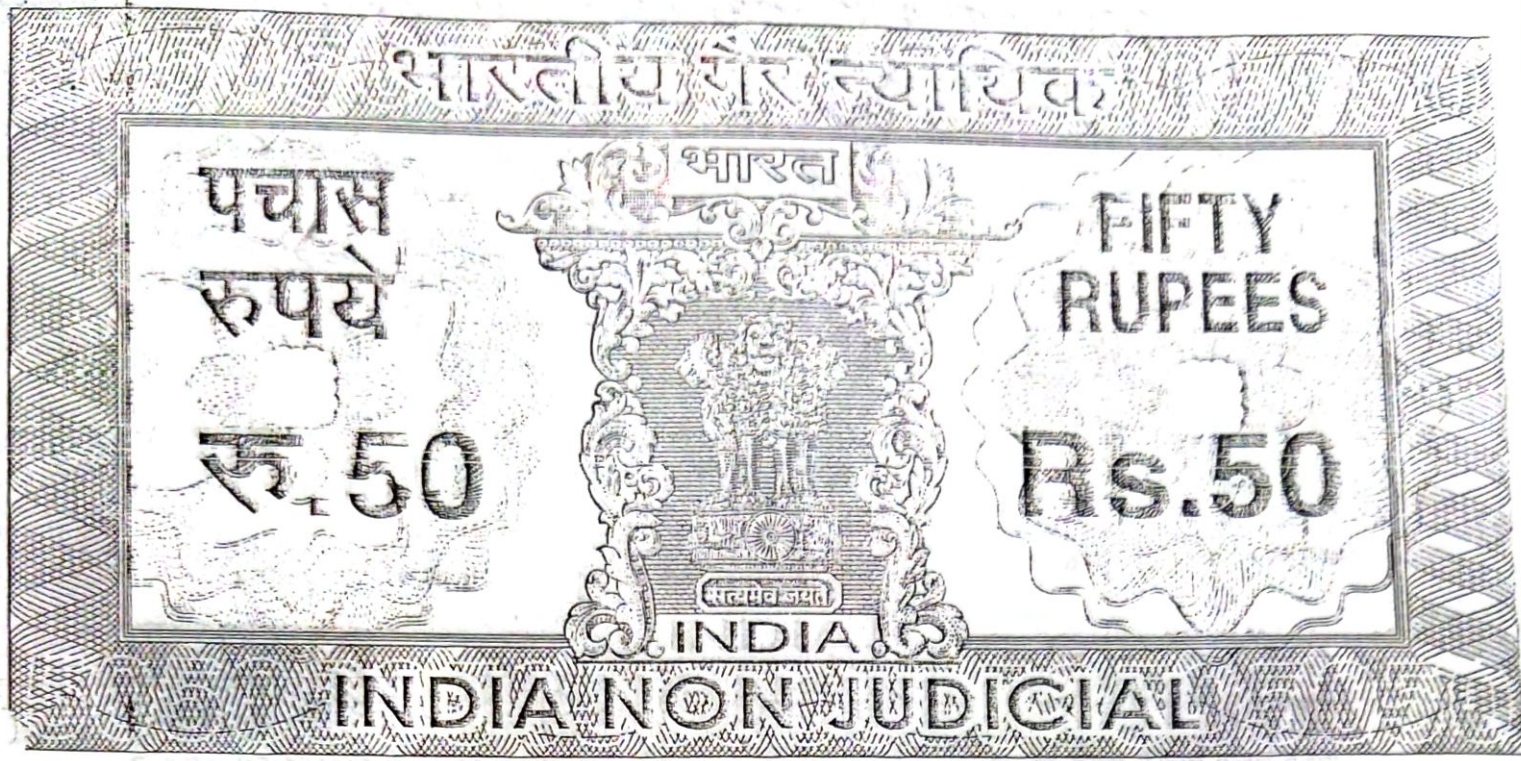
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

यू0के0अग्रवाल(प्रभारी)

सब रजिस्ट्रार द्वितीय

कोल, अलीगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 333294

- 5 -

किसी सरकारी/गैर सरकारी वित्तीय संस्थान अथवा निजी व्यक्ति या संस्थान से उचित ब्याजदर पर ऋण का आदान-प्रदान करना। ट्रस्ट फाउन्डर ट्रस्टियों से भी उचित शर्तों एवं ब्याजदर पर ऋण प्राप्त कर सकता है। उक्त ऋण के सम्बन्ध में सिक्योरिटी बतौर ट्रस्ट की सम्पत्ति को प्रतिभू/रहन किया जा सकता है।

प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त समस्त संशोधन, स्मृति पत्र एवं नियमावली में किया जाना सर्व सम्मति से अनुमोदित किया जाता है तथा उक्त संशोधन कार्यवाही को माननीय सब-रजिस्ट्रार महोदय तहसील कोल, जिला अलीगढ़ के कार्यालय में पंजीयन कराया जाये तथा मूल पंजीकृत नियमावली का अंग माना जाये। अतः उक्त संशोधन व नवनियुक्त "अध्यक्ष" श्री स्वप्निल जैन उक्त आधार पर इस दस्तावेज द्वारा किया जा रहा है और कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्यों ने सर्व सम्मति से उक्त ट्रस्ट के "कोषाध्यक्ष" श्री मुकेश जैन को उक्त संशोधनों के पंजीयन हेतु माननीय सब-रजिस्ट्रार महोदय तहसील कोल, जिला अलीगढ़ के सम्मुख प्रस्तुत करने व अन्य समस्त कार्यवाही वास्ते रजिस्ट्री हेतु प्राधिकृत किया।



10

प्राप्ति के लिये मध्य प्रदेश सरकार के आदेशानुसार
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को
इस प्रकार के फॉर्म भरकर अपने संबंधित अधिकारी के पास
जमा करना है।



व्यक्तिगत अधिकारी

न्यासी

दिनांक

महाराष्ट्र सरकार, न्यासी

Registration No.:

6

Year :

2,014

Book No. :

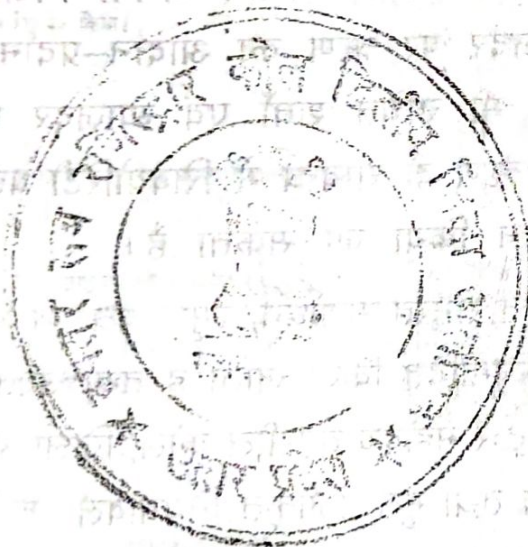
4

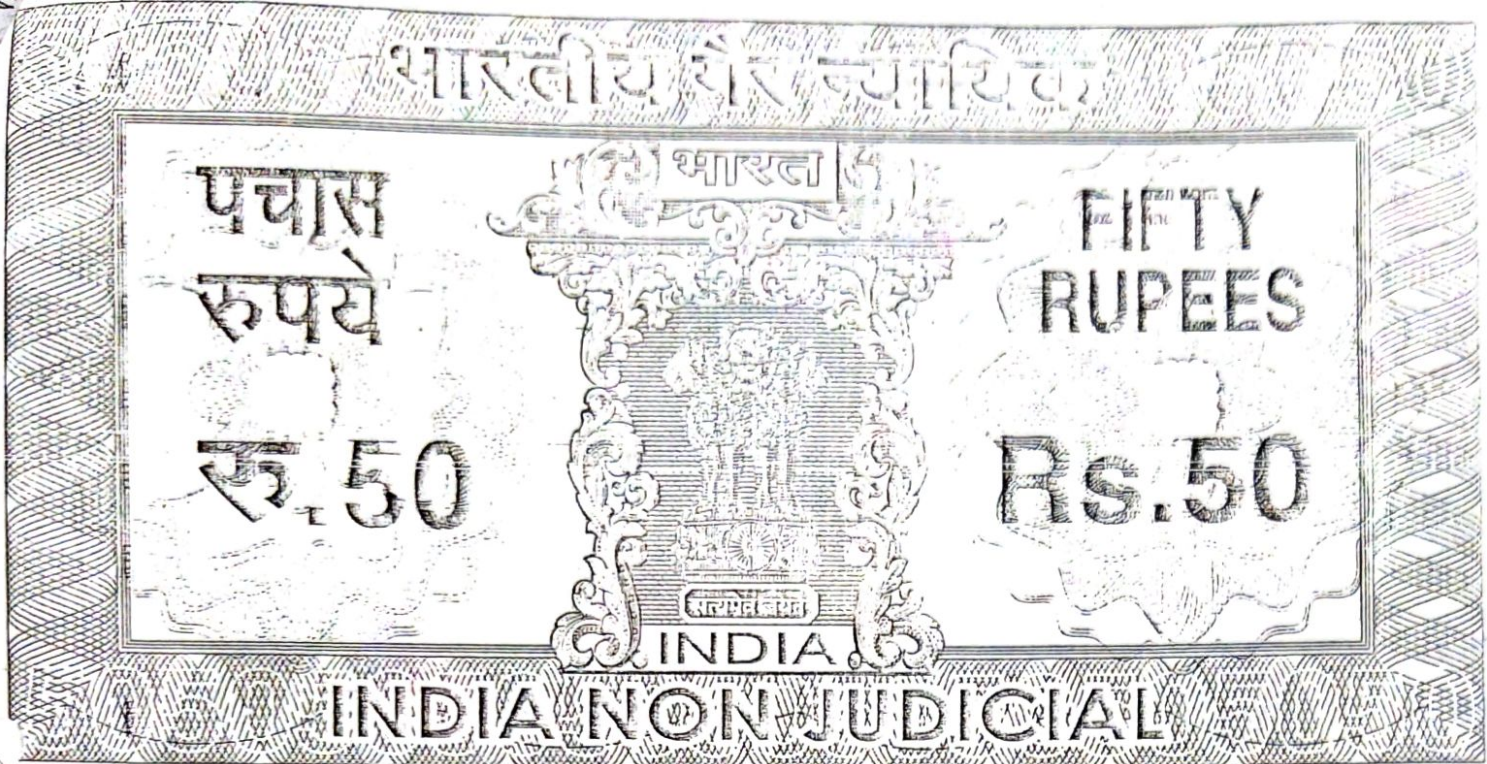
0101 मुकेश जैन (आईडी- वोटर कार्ड)

ओमप्रकाश जैन

आवास विकास कालोनी सासनी गेट अलीगढ़

अन्य





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 333295

- 6 -

अतः भावी विकारों के निवाणार्थ यह दस्तावेज संशोधन आदि लिख दिया कि प्रमाण रहे ओर समय पर काम आवे।

नोट उक्त असल ट्रस्ट डीड दिनांक 09.03.1998 के अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी और यह संशोधन उक्त ट्रस्ट डीड नियमावली का भाग होगा।

तहरीर तारीक - 20.03.2014

स्थान - अलीगढ़।

तहरीकर्ता - स्वयं मुकिर दस्तावेज हाजा।

(मुकेश जैन)
कोषाध्यक्ष

For Pt. Kailash Chandra Jain, Keshav Dev Jain
Educational Trust, Aligarh

साक्षी

- 1.

Rajeev Burywal
Rajeev Burywal
80 Kati Sini O.P. Burywal
Gopal Puri
Aligarh

2.

K. C. D. Nair, S/o. Late P. N. C. Nair
7, Krishnadharam
Agra Road, No. 1st Crossroad
Aligarh (U.P.)

Treasurer

६१ (१३६ केवल कोल वि. २०३/२०१४
 २०३ अक्टूबर २०१४ को २०३/२०१४
 १३६ केवल कोल वि. २०३/२०१४
 २०३ अक्टूबर २०१४

२०/३/२०१४
 २०/३/२०१४
 २०/३/२०१४

आज दिनांक 20/03/2014 को
 वही सं. 4 जिल्द सं. 90
 पृष्ठ सं. 137 से 148 पर क्रमांक 6
 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

यू०के०अग्रवस्त्र(प्रभारी)
 सब रजिस्ट्रार द्वितीय
 कोल, अलीगढ़
 20/3/2014

